10.10.22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम कुवारा के खाता संख्या 122, 90, 57 तथा राजस्व ग्राम नाथा की नांगल के खाता संख्या 174 पटवार हल्का नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी 1 ता 3 के पिता का नाम प्रहलाद के स्थान पर बोलता नाम घडिया दर्ज है तथा वादी संख्या 1 का नाम देवकरण के स्थान पर देवा व वादी संख्या 3 का नाम फूलचन्द के स्थान पर फूला गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जावें। वादी ने वादपत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र कालूराम पुत्र प्रहलाद, मृत्यु प्रमाण पत्र रामकुवार पुत्र प्रहलाद, शपथ पत्र वारिसान रामकुवार, मृत्यु प्रमाण वत्र ज्ञानचंद पुत्र रामकुवार, वादी देवकरण व फूलचन्द व धंशीराम का आधार कार्ड, धंशीराम का मतदाता पहचान पत्र, शपथ पत्र वारिसान कालूराम, आदि की प्रतियां प्रस्तुत की जिनमें वादी 1 ता 3 के पिता का नाम प्रहलाद व वादी 1 व 2 का नाम क्रमशः देवकरण व फूलचन्द दर्ज है। वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य वादी नंबर 1 व वादी नंबर 2 के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। जिरह शून्य रही। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादी 1 ता 3 के पिता का नाम घडिया गलत दर्ज है जबकि सही नाम प्रहलाद है व इसी प्रकार वादी नंबर 1 का सही नाम देवकरण व वादी नंबर 2 का सही नाम फूलचन्द है की पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

आदेश

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार

नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कुवारा के खाता संख्या 122, 90, 57 तथा राजस्व ग्राम नाथा की नांगल के खाता संख्या 174 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी 1 ता 3 के पिता का नाम **घड़िया** के स्थान पर **प्रहलाद** व वादी नं0 1 का नाम **देवा** के स्थान पर **देवकरण** व वादी नं0 2 का नाम **फूला** के स्थान पर **फूलचन्द** दुरुस्त करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)